

प्रेषक,

गजेन्द्र सिंह कफलिया,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—६

देहरादून: दिनांक 09 मई, 2024।

विषय— उत्तराखण्ड राज्य में लेखा संवर्ग के कुशल प्रबंधन हेतु विभिन्न राजकीय विभागों में उपलब्ध/स्वीकृत अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विदित है कि लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को साकार करने के लिए राजकीय संसाधनों एवं राजस्व का युक्तियुक्त उपयोग किया जाना अपेक्षित है, उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों में लेखा संवर्ग के अंतर्गत सहायक लेखाकार (निर्धारित अर्हताओं के आधार पर सीधी भर्ती), लेखाकार पदोन्नति द्वारा एवं सहायक लेखाधिकारी (पदोन्नति द्वारा) के पद शामिल किये गये हैं।

2— सम्प्रति विभिन्न राजकीय विभागों में लेखा संवर्ग में उपलब्ध/स्वीकृत/कार्यरत, सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति की अलग—अलग व्यवस्था होने के कारण निदेशालय, विभागीय लेखा के स्तर पर राज्य स्तरीय पारस्परिक वरिष्ठता सूची तैयार करते समय तरह—तरह की विसंगतियाँ/कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं; यही कारण है कि लेखा संवर्ग के कार्मिकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता को लेकर मात्र न्यायालयों में समय—समय पर विधिक वाद योजित होते रहते हैं।

3— एक ही विभाग में पदस्थापित होने से कार्मिकों के कार्य में विविधता नहीं आ पाती है तथा उन्हें अपनी योग्यता एवं क्षमता के प्रदर्शन का अवसर भी नहीं मिल पाता है, जिससे उनके कौशल में वांछनीय वृद्धि नहीं हो पाती है।

4— उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राज्य में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठित एवं एकीकृत किया जाना वांछनीय है, जिससे लेखा संवर्ग के संगठनात्मक ढांचों में, जहां एक ओर संवर्ग प्रबन्धन उचित रूप से हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर विभागीय

।/210176/2024

आवश्यकताओं के अनुरूप कार्मिकों की तैनाती से विभिन्न विभागों में वित्तीय अनुशासन के साथ ही साथ शासकीय कार्य में सुगमता होगी।

5— उक्त के दृष्टिगत में उत्तराखण्ड राज्य में लेखा संवर्ग के कुशल प्रबंधन हेतु विभिन्न राजकीय विभागों (कोषागार विभाग को छोड़ते हुए) में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों को पुनर्गठित/एकीकृत करते हुए, उक्त पदों के सापेक्ष तैनात कार्मिकों का प्रशासकीय नियंत्रण वित्त विभाग के अधीन निदेशालय, विभागीय लेखा को प्रदान किये जाने किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6— उक्तानुसार पुनर्गठन/एकीकरण के पश्चात अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के सेवा संबंधी प्रकरणों पर “उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019” लागू होगी।

7— कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019” के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)  
उप सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
उप सचिव।